



राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ./गि.रि./2021-22/942-67 जयपुर,दिनांक: 21.01.2022

अधिसूचना

जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से प्राप्त खरीफ फसल 2021 (सम्बत-2078) में दिनांक 23.10.2021 को हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला श्रीगंगानगर के निम्नलिखित 07 ग्रामों में खरीफ फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 28 फरवरी, 2022 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	अभावग्रस्त किये जाने वाले गांवों के नाम
1	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	60 जीबी-बी
2			1 ए-ए
3			1 ए-बी
4			3 ए
5			5 ए-ए
6		विजयनगर	17 ए.एस.
7			19 ए.एस.
कुल योग:-		02	07

राज्यपाल की आज्ञा से,

Anand Kumar

(आनन्द कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

(1)

.....लगातार.....